भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1051
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत उपयोग न की गई मजदूरी

1051. श्री अरविन्द कुमार सिंह :
श्रीमती कुसुम राय :
श्री प्रभात झा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों के डाकघरों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी के 4000/- करोड़ रुपए अप्रयुक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान न किए जाने के लिए चिन्हित कारण क्या हैं ;

(घ) क्या हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) सरकार द्वारा मनरेगा में अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रस्तावित नई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन ' आदित्य')

(क) से (ग): जी, नहीं। डाकघर स्तर पर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम धनराशि रखा जाना मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान करने के लिए आवश्यक है क्योंकि देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे चेक की रिलीज और डाकघरों में उपलब्ध वास्तविक निधि के बीच समयांतराल संबंधी समस्या हल करने के लिए प्रधान डाकघर अथवा जिला मुख्यालय के पास औसत मासिक भुगतान के समतुल्य पर्याप्त मात्रा में धनराशि जमा रखें। इस प्रकार डाकघरों में समूह निधि (न्यूनतम शेष राशि) जमा को अप्रयुक्त पड़ा हुआ नहीं माना जा सकता।

(घ) से (च) : मंत्रालय को देश में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से कम मजदूरी के भुगतान, भुगतान में देरी इत्यादि के मामलों से संबंधित होती हैं। चूंकि अधिनियम का कार्यान्वयन राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों का कार्य है, इसलिए मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें कानून के अनुसार जाँच सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी तथा आवश्यक स्टाफ एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। ऐसी शिकायतों और निधियों के दुर्विनियोजन आदि के मामले में दोष की जिम्मेवारी तय करने के लिए जांच कराई जाती है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ज) : मंत्रालय ने एमजीएनआरईजीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों के निवारण एवं निपटान के लिए सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया है। मंत्रालय ने दिनांक 7 सितंबर, 2012 को सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को मानक परिचालन प्रक्रियाविधि (एसओपी) भी जारी किया है जिसमें शिकायतों के निपटान संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख है।

*****